

अंचल कार्यालय, जरमुण्डी (दुमका)

ज्ञापांक 445/रा0, दिनांक 07/07/2020

प्रेषित :

श्री उदयकान्त मिश्र
अमीन (आउटसोर्सिंग)
अंचल कार्यालय, जरमुण्डी (दुमका।)

विषय :- मापी वाद सं0 17/2016-17 का मापी के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आवेदक उमा राव पिता - स्व0 अर्जून राव निवास पता - बासुकीनाथ, थाना - जरमुण्डी, जिला - दुमका ने मौजा रामपुर खाता न0 10 दाग न0 177 का मापी हेतु मापी शुल्क राशि 300/- (तीन सौ) रु0 नाजिर रशिद सं0 NR 401008 दिनांक 25.04.2017 द्वारा जमा किया है। उसके आलोक में आपको कार्यालय, ज्ञापांक 596/रा0 दिनांक 26.04.2017 द्वारा मापी हेतु आपको निदेशित किया गया था। परन्तु आवेदक की उपस्थिति नहीं रहने के कारण मापी नहीं हो सका। उक्त जमीन की मापी हेतु दिनांक 11.07.2020 को निर्धारित किया जाता है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम प्रधान एवं 16/आना रैयत मौजा रामपुर के समक्ष नापी कर मापी प्रतिवेदन एवं ट्रेश मैप अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

अंचल अधिकारी,

जरमुण्डी

07/07/2020

ज्ञापांक 445/रा0 जरमुण्डी दिनांक 07/07/2020

प्रतिलिपि : संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल - जरमुण्डी हल्का सं0 04 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : ग्राम प्रधान मौजा रामपुर/16 आना रैयत मौजा रामपुर/श्री उमा राव पिता - स्व0 अर्जून राव निवास पता - बासुकीनाथ, थाना - जरमुण्डी, जिला - दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है। कि मापी हेतु निर्धारित तिथि 11.07.2020 को उपस्थित रहेंगे।

अंचल अधिकारी,

जरमुण्डी।

07/07/2020

सेवा में, श्री मान अंचल अधिकारी, जरखुड़ी।

विषय- मापी वाद सं० 17/2016-17 का मापी के सम्बन्ध में।

महोदय, आदेशानुसार दिनांक: 11/7/2020 को मौजा रामपुर न० 23 हल्का कर्मचारी के साथ आका. शान्तकाम ग्राम प्रधान, एवं 16/अण्डा ग्रामीणों के समक्ष गैर नकशे नक्शा के साथ सरजमीन गिराने का मापी किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

मौजा रामपुर न० 23 जमान्दी न० 10 कागस 177 गिरावली दोष रकम 3000 रु० 11-दुर. पति शउत ड० का नाम रजनिगण में है।


सरजमीन मापी के दौरान पाया गया मौजा रामपुर न० 23 जमान्दी न० 10 के कागस सं० 177 को ग्राम प्रधान ड० के समक्ष मापी कर निहित कर दिया गया जिसे दोष नक्शा में लाल रंग से इकाया गया है। जो प्रतिवेदन साथ संलग्न है। मापी के समय उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर का कागजात प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

अतः श्री मान अंचल अधिकारी के लिये स्वीकार करवाया है।

13/7/2020

उदय
13/7/2020
अंचल अधिकारी
जरखुड़ी।

मीजा. रामपुर नं २३
 सरकारी सर्किल - कासकी नाथ
 सखीपरीजन को जिला - दुमका
 अंचल - जरमुडी
 ताएदाद शीट १ शीट नं १
 सर्किल - १६ ईअ = १मील
 सन १९२२ - २३ ई०




उदय
 १३/६/२०२०
 कोचल डाकेर
 माउरुडी १

आज दिनांक: 11.7.2020 को मौजा रामपुर नं० 23
के जमावन्दी नं० 10 के दाम सं० 177 का माफी
आवेदक, ग्रामप्रधान, ब्लॉक कर्मचारी एवं
ग्रामीणों के समक्ष किया।

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर -

- ① उमर लाल
- ② भोरा लाल
- ③ वाराणसी
- ④ सुनील राय
- ⑤

मो० रं० शर्मा
ग्राम प्रधान
ग्राम-रामपुर, न० 23-बासुकीनाथ
प्रखण्ड-जामुंडी दुमका


11.7.2020

364
11.07.2020
अध्यापक अमिता
जामुंडी

ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ, କଟକ.
 ମାମୁଁ ନମ୍ବର 17. / 16-17.

ଓଡ଼ିଶା ଟିଏ
 ଖଣ୍ଡ - 10
 ଗ୍ରାମ - 10
 ଟିଏ - 177.

• ଖବର -	ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ	ଅନ୍ତରାଳ
24/11/16.	<p>ଆବେଦନ, 3 ମାସ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ - 10 ଓ ଟିଏ - 10 ଟିଏ - 177 ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ ମାମୁଁ ନମ୍ବର 17. / 16-17 ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ ମାମୁଁ ନମ୍ବର 17. / 16-17 ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ ମାମୁଁ ନମ୍ବର 17. / 16-17 ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ ମାମୁଁ ନମ୍ବର 17. / 16-17</p>	<p>ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ କଟକ</p>

(Signature)
 24/11/16

ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଳୟ
 କଟକ

20/4/17.

अभिमान के उपलक्षण।

16 भागों के भागों प्रकार का अभिमान-
आवदन प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राठ की
अभिमान की वजह से उन्हें कुछ नोटिस जारी
करे।

(Signature)
20/4/17

अभिमान के उपलक्षण।
अभिमान।

25/4/17.

अभिमान के उपलक्षण।

श्री राठ द्वारा अभिमान अथवा अभिमान
अभिमान की वजह से उन्हें कुछ नोटिस जारी
करे।

NR
40/008
25/4/17

29/06/2020

अभिलेख उपस्थापित | कार्यालय भापांक 596/श०, दिनांक 26/04/2017 द्वारा मौजा - रामपुर अ० नं० 10 द्वाग नं० 177 की मापी हेतु अंचल अमीन, जरमुण्डी को आदेशित किया गया था।


अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे दिनांक 11/05/2017 को मौजा - रामपुर मापी हेतु गया था। परन्तु आवेदक की रुचि के अभाव में मापी नहीं किया जा सका।

अतः आवेदक को दिनांक 07/07/2020 को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।


अंचल अधिकारी,
जरमुण्डी।

7/7/2020


अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उमा दल उपस्थित। आवेदक ने आवेदित जमीन मौजा - रामपुर अ० नं० 10 द्वाग नं० 177 की मापी हेतु अनुविपक्षिता है। तदनुसार उक्त जमीन की मापी हेतु तिथि 11/7/2020 को निर्धारित किया जाता है। अन्यत्र अमीन, संबंधित 10/05/2017 का पत्र संख्या एवं 16-आवा रैमर मौजा - रामपुर को पत्र देना सूचित करें।


अंचल अधिकारी,
जरमुण्डी

13/7/2020

अभिलेख उपस्थापित। कार्यालय भापांक 445/श० दिनांक 13/7/2020 के आदेशों में अंचल अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन एवं डेटा मैप समर्पित किया गया है देखा।

अभिलेख में भाग की सरकारी वंद की जाती है।


अंचल अधिकारी,
जरमुण्डी